भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या*37
(दिनांक 24.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी समाचार का खतरा

***37. श्रीमती स्मिता उदय वाघः**
श्री विजय बघेलः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान मीडिया के विभिन्न मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फैलाए जा रहे ऐसे फर्जी समाचारों की ओर गया है जिनसे देश का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार देश में फर्जी समाचारों के खतरे से निपटने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा फर्जी समाचारों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति को अनिवार्य बनाए जाने सहित सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों से निपटने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का इस संबंध में विधान लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधान कब तक लाए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारणएवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

फर्जी समाचार का खतराके संबंध में दिनांक 24.07.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *37 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ज): सरकार फर्जी और भ्रामक सूचना, जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार पैदा करने की क्षमता रखती है, के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, सरकार के पास विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरों सेनिपटने के लिएसांविधिक और संस्थागत तंत्र हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों से निपटने के लिए नवंबर, 2019 में एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

प्रिंट मीडिया के लिए, समाचारपत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा बनाए गए ''पत्रकारिता आचरण के मानक'' का पालन करना आवश्यक है जो अन्यबातों के साथ-साथ फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मानकोंके कथित उल्लंघन की जांच करती है और समाचारपत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को, जैसा भी मामला हो, चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है।

पीसीआई ने सूचित किया है कि 2021 से 2024 की अवधि के दौरान, उसने महाराष्ट्र राज्य के संबंध में फर्जी खबरों की पांच शिकायतों पर न्याय निर्णय लिया है।

टीवी चैनलों पर सामग्री के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर ऐसी कोई सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें कुछ भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, मिथ्या और विचारोत्तेजक संकेत तथा अर्धसत्य शामिल हो। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहां कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो वहां उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

डिजिटल समाचार प्रकाशकों की सामग्री के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 एक आचार संहिता प्रदान करता है।

****